सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
पंजीकृत कार्यालय : आउटर रिंग रोड,
नागवारा, बेंगलूर - 560 045, भारत
Bharat Electronics Limited
(Govt. of India Enterprise, Ministry of Defence)
Registered Office : Outer Ring Road,
Nagavara, Bangalore - 560 045, INDIA.
CIN : L32309KA1954GOI000787
फोन/Phone : +91 (80) 25039300
फैक्स/Fax : +91 (80) 25039244
वेब/Web : www.bel-india.in

सं./No. 17556/2026/RTI/CO/256
दिनांक/Date: 12/08/2026

श्री गौतम गणेश एम एच/ Mr.Goutham Ganesh M H,

[redacted]

महोदय /Dear Sir,

विषय-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के संबंध में
Subject: Information under Right to Information Act, 2005 – reg

*****

आरटीआई अधिनीयम, 2005 के तहत कृपाया अपने आवेदन का सदंर्भ लें जिसका पंजीकरण सं.BELBL/R/E/26/00561 दिनांक 28.07.2026 है और जो हमें दीनांक 29.07.2026. को प्राप्त हुआ। सुचना के धारक से प्राप्त सुचना इस प्रकार है -
Please refer to your application under RTI Act, 2005 vide Registration No. BELBL/R/E/26/00561 dated 28.07.2026 received by us on 29.07.2026. The information as received from the holder(s) of information is furnished as under:

क्र.सं./ Sl. No. 1

इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले, बोर्ड, नेमप्लेट आदि में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है (पृष्ठ-01)।
Copy of guidelines regarding the use of regional languages in public information displays, boards, nameplates etc. issued in this regard is enclosed (Page-01).

क्र.सं./ Sl. No. 2

कर्नाटक में, जहां बीईएल की यूनिट/कार्यालय स्थित हैं, सभी सार्वजनिक सूचना बोर्ड, डिस्प्ले, नेमप्लेट आदि त्रिभाषी यानी कन्नड़-हिंदी और अंग्रेजी में स्थापित किए गए हैं।
In Karnataka, where BEL's Unit/offices are located, all public information boards, displays, nameplate etc. are installed in trilingual .i.e. in Kannada, Hindi and English.

क्र.सं./ Sl. No. 3

सभी संगठनों में उक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
Compliance of above guidelines is ensured across organization.

क्र.सं./ Sl. No. 4

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन बीईएल की सभी यूनिटों/कार्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। इस संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
Compliance of above guidelines is ensured by all the Units / Offices of BEL. No violation has taken place in this regard.

क्र.सं./ Sl. No. 5
निगरानी और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को जिम्मेदार बनाया गया है।
F&S Department is made responsible for monitoring and ensuring its compliance.

यदि आप अधोहस्ताक्षरी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आप आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत इस सूचना को प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर कर सकते हैं जिसका विवरण नीचे संलग्न किया गया है -
In case, you are not satisfied with the decision of the undersigned, you may file an appeal with the First Appellate Authority whose details are appended below, within 30 days from the date of receipt of this communication under Section 19(1) of the RTI Act, 2005:

श्रीमती रुचि पंत,
महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी योजना)एवं अपीलीय प्राधिकारी,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड,
नागवारा, आउटर रिंग रोड,
बेंगलूर - 560 045

Smt. Ruchi Pant,
General Manager (Technology Planning)
& Appellate Authority,
Bharat Electronics Limited,
Nagavara, Outer Ring Road,
Bangalore – 560 045.

कृपया इस पत्र की पावती दें।
You are requested to acknowledge the receipt of this letter.

सधन्यवाद/Thanking you,

कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
For **BHARAT ELECTRONICS LIMITED**

(सभरी वी / Sabhari V)
ए.जी.एम (वित्त) एवं सीपीआईओ, सी.ओ / AGM (Finance) & CPIO, CO
Email: cpioco@bel.co.in

संलग्न- यथा उपर्युक्त (पृष्ठ-01)
Encl: As above (Pages-01)

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड / BHARAT ELECTRONICS LIMITED
कार्पोरेट राजभाषा / CORPORATE - OL

सं सं / Ref No 17555/712/CO/OLS/VI-2 दिनांक / Date: 16.01.2026

विषय - नाम पट्ट और साइन बोर्ड
SUB: NAMEPLATES AND SIGNBOARDS

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के का.ज्ञा. सं. 14013/04/2022-रा.भा. (नीति) दिनांक 21.06.2022 के अनुसार, हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात् 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा - हिन्दी -,अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना आवश्यक है।

सभी यूनिटें / सीआरएल / क्षेत्रीय कार्यालय उक्त नियम का पालन करना सुनिश्चित करें।

As per OM No. 14013/04/2022-रा.भा. (नीति) dt. 21.06.2022 issued by Dept. of OL, MHA, GoI, it is mandatory to use Regional language-Hindi-English in the same order on the Boards, Name Plates etc. meant for the general public by the Central Govt Offices situated in Non Hindi Regions, i.e. 'B' and 'C' regions.

All Units / CRLs / ROs may note the above for uniform compliance.

अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
ADDL GEN MANAGER (HR)

सभी यूनिट / एस बी यू / क्षे का प्रमुख
HEAD of all Units /SBUs /ROs

प्रति - उप महाप्रबंधक (एफ एंड एस) / सीओ - कार्पोरेट कार्यालय में अनुपालन के लिए
c.c.: DGM (F & S) / CO - For Compliance at CO

Furnished Under RTI Act आर टी आई अधिनियम के तहत प्रस्तुत
BEL Co. बीईएल का.आ.